भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 10

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2021/28 आषाढ़, 1943 (शक) को दिया गया

वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश

10. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय वित्तीय संस्थाओं विशेष रूप से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने प्रमुख औद्योगिक घरानों की विभिन्न कंपनियों में हजारों करोड़ रूपए का निवेश किया है तथा उन्हें गैर-निष्पादनकारी आस्तियां बताकर उस राशि को बट्टे खाते में डाल दिया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में एक उच्च स्तरीय जांच करने या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच करवाने हेतु आवश्यक कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों तथा आईडीबीआई बैंक और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) सहित बैंक के बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार अनुप्रयोज्य ऋण जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वैसे ऋण जिनके संबंध में चार वर्ष की अवधि की समाप्ति पर पूर्ण प्रावधानीकरण कर दिया गया है, को बट्टे खाते डालकर संबंधित बैंक के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है। आरबीआई के दिशानिर्देशों तथा अपने बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार बैंक तथा एआईएफआई अपने तुलन-पत्र को परिशुद्ध करने, कर संबंधी लाभ उठाने तथा पूंजी को इष्टतम बनाने हेतु अपने नियमित कार्यकलाप के भाग के रूप में बट्टे खाते डाले जाने के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं/विचार करते हैं। बट्टे खाते डाले गए ऋणों के उधारकर्ता पर पुनर्भुगतान का दायित्व बना रहता है। बट्टे खाते डाले गए ऋण खातों के मामले में उधारकर्ताओं से बकाया की वसूली की प्रक्रिया जारी रहती है क्योंकि वित्तीय आस्तियों को बही खाते से बट्टे खाते डालना वसूली तंत्र को रोके बिना केवल एक तकनीकी प्रक्रिया है।

बट्टे खाते डाले गए बैंक ऋणों की वसूली के संबंध में, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों और एआईएफआई में अपने बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित ऋण वसूली नीति का होना अपेक्षित है जो बकाया राशि की वसूली की विधि, अनुप्रयोज्य आस्तियों में अवधि-वार लक्षित कमी

इत्यादि को निर्धारित करता हो। बैंकों के पास वसूली करने हेतु कई तंत्र जैसे सिविल न्यायालय अथवा ऋण वसूली अधिकरणों में दावा दायर करना, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत कार्रवाई करना, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में मामला दायर करना, समझौता/सुलह के माध्यम से तथा अनुप्रयोज्य आस्तियों की बिक्री के माध्यम से वसूली करना उपलब्ध हैं। बैंक तथा एआईएफआई प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर अलग-अलग मामलों में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम वसूली तंत्र के संबंध में निर्णय लेते हैं। पूर्वोक्त तंत्र के अंतर्गत आरंभ की गई कार्रवाई अशोध्य ऋणों के बट्टे खाते डाले जाने के पश्चात भी जारी रहती है।

सरकार ने 'उच्च मूल्य वाली बैंक धोखाधड़ियों की समय पर पहचान करने, इसकी सूचना देने, इसकी जांच करने इत्यादि से संबंधित ढांचा' जारी किया है तथा वाणिज्यिक बैंक और एआईएफआई, वाणिज्यिक बैंकों तथा एआईएफआई द्वारा धोखाधड़ी - वर्गीकरण और सूचना के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 1.7.2016 के मास्टर निदेशों के अनुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) सहित विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों को धोखाधड़ी के संबंध में सूचना देते हैं।

*****